अनुबंध – I

यूनियन एसएचजी कोविड सुविधा ऋण के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र सं	प्रश्न	स्पष्टीकरण / उत्तर
1	यूनियन एसएचजी कोविड सुविधा योजना का उद्देश्य क्या है ?	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वयं सहायता समूह सदस्यों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है।
2	क्या सभी स्वयं सहायता समूह ऋण के लिए पात्र होंगे ?	जी नहीं, संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड वाले केवल मौजूदा स्वयं सहायता समूह ही इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।
3	क्या ऋण केवल लॉक डाउन अवधि के दौरान दिया जा सकता है ?	जी नहीं, यह योजना दिनांक 30.09.2020 तक वैध है । अत: दिनांक 30.09.2020 तक ऋण दिया जा सकता है ।
4	क्या ऋण नकदी ऋण के रूप में दिया जा सकता है ?	जी नहीं, ऋण की सुविधा केवल मीयादी ऋण के रूप में मंजूर की जा सकती है।
5	इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए मीयादी ऋण की मात्रा की गणना कैसे करें ?	स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदान की गई मांग / संकल्प के अनुसार मीयादी ऋण मंजूर किया जाएगा, जो कि आईसी संख्या 01987 दिनांक 30.03.2020 के अनुबंध 2 में संलग्न है, अधिकतम 5000 / - रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य या 1 लाख रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह के अधीन है इनमे से जो भी कम हो ।
6	क्या मीयादी ऋण सीमा का निर्धारण स्वयं सहायता समूह के किफायती / बचत आधारभूत निधि से जुड़ा है ?	जी नहीं, ऋण सीमा का निर्धारण स्वयं सहायता समूह सदस्यों के अनुरोध पर आधारित है जो अधिकतम 5000 / - रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य या 1 लाख रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह इनमे से जो भी कम हो।
7	स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण की चुकौती कैसे की जाएगी ?	ऋण 30 मासिक किश्तों में चुकाना है और पहली किश्त 6 महीने की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होगी।
8	क्या ऋण राशि को स्वयं सहायता समूह के बचत खातों या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते में संवितरित किया जाएगा ?	ऋण राशि को व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत बचत खाते में संवितरित किया जाएगा।
9	क्या इस योजना में किसी तरह का सेवा शुल्क लिया जाता है ?	इस योजना में प्रोसेसिंग शुल्क,प्रलेखीकरण शुल्क , ई एम शुल्क ,समीक्षा शुल्क आदि में छूट हैं।
10	क्या इस योजना में किसी तरह का पूर्वभुगतान शुल्क लागू होता है ?	इस योजना में कोई पूर्वभुगतान शुल्क लागू नहीं है।
11	क्या सभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों की सीआईएफ आईडी को स्वयं सहायता समूह खाते के साथ जोड़ा जाता है ?	जी हाँ, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण वितरित करने से पहले – शाखाओं को स्वयं सहायता समूह मुख्य खाता में सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सीआईएफ आईडी को जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए ।
12	किसी बैंक में स्वयं सहायता समूह खाता एनपीए है और यूनियन बैंक के साथ मानक है तो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं?	किसी बैंक में खाता एनपीए है यघपि हमारे बैंक में मानक होने के बावजूद ऋण सुविधा के लिए पात्र नहीं है ।
13	क्या इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता है ?	इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।
14	इस योजना के तहत ऋण के लिए ब्याज दर क्या है?	इस योजना में लागू ब्याज दर 1 वर्ष का एमसीएलआर है। हालांकि एनआरएलएम जिलों के तहत स्वयं सहायता समूह 3 लाख रुपये तक की संयुक्त सीमा के लिए 7% की ब्याज दर के लिए पात्र हैं (वर्तमान ऋण + यूनियन एसएचजी कोविड सुविधा ऋण)